(101)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1464–दो/2001 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25–5–2001 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 52/2000–01 अपील

रामस्वरूप पुत्र सालिगराम
निवासी चन्दूपुरा तहसील
व जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ––आवेदक

विरूद्ध

पृथ्वीराम पुत्र ग्याराम, निवासी
ग्राम चन्दूपुरा तहसील व जिला भिण्ड –– अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 16–5 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 52/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–5–2001 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है पृथ्वीराम अनावेदक ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम बबेड़ी की भूमि सर्वे कमांक 130.131 के बीच डेढ़ विस्वा रास्ता देने हेतु रामस्वरूप ने तहसील के प्रकरण मांक 37 बी 121/93–94 में सहमति दी , इसलिये रास्ता कायम किया जाये।

इस पर से सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने प्रकरण कमांक 98/94-95 बी 121 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 10-1-2000 पारित करके भूमि सर्वे कमांक 130.131 के खेत की मेड़ पर से निकलने हेतु सुखाचार वावत् खसरे के खाना नबर 12 में रास्ता अंकित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 90/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 20-10-2000 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 52/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 25-5-2001 से अपील निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब आवेदक रामस्वरूप ने स्वतः सहमति देकर स्वयं की भूमि की मेढ़ पर से आने-जाने हेतु तथा सिंचाई के लिये पाइप डालकर एंव रास्ते के रूप में प्रयोग करने की सहमति दी गई है और उसी आधार पर सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने आदेश दिनांक 10-1-2000 से भूमि सर्वे कमांक 130.131 के खेत की मेड़ पर से निकलने हेतु सुखाचार वावत् खसरे के खाना नबर 12 में प्रविष्टि अंकित करने के आदेश दिये है, मात्र खेत की मेड़ पर से आने जाने एंव सिंचाई हेतु पाईप डालकर पानी ले जाने के कारण

आवेदक को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए , क्योंकि आगे के खेतों के कृषकों को आवा-गमन की सुविधा देने के लिये ही संहिता की धारा 131 में प्रावधान किये गये हैं। मैंने तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया, तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष सम्मरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप करने की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 52/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-5-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर